उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्या-36/2023/19/41-2023-01(सा0)2023
लखनऊ दिनांक 20 जनवरी, 2023

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

श्री बिमलेश कुमार औदीच्य, उप निदेशक, पर्यटन (मु0) द्वारा अपने पत्र दिनांक 29.12.2022 के माध्यम से दिनांक 31.03.2023 से31.03.2023 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया एवं महानिदेशक, पर्यटन के पत्र संख्या-7298/2-3(1-37)/का0/2007, दिनांक 03.01.2023 द्वारा श्री बिमलेश कुमार औदीच्य, उप निदेशक (मु0), पर्यटन को दिनांक 31.03.2023 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान करने की संस्तुति की गयी।

2- श्री बिमलेश कुमार औदीच्य, उप निदेशक, पर्यटन (मु0) के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-56 के सुसंगत प्रावधानों के तहत श्री राज्यपाल उन्हें दिनांक 31.03.2023 के अपरान्ह से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान करते है।

3- श्री औदीच्य के सेवा की गणना दिनांक 31.03.2023 तक की जायेगी एवं तदनुसार उन्हें नियमानुसार सेवानैवृत्तिक लाभ अनुमन्य होंगे।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

अश्विनी कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महानिदेशक, पर्यटन उ0प्र0 लखनऊ।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।

4. निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
5. निदेशक, पर्यटन उ0प्र0, लखनऊ
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय द्वारा महानिदेशक।
8. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा महानिदेशक।
9. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा महानिदेशक।
10. सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली में रखे जाने हेतु
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।